



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक : वित्त प्रकोष्ठ / समूह दुर्घटना बीमा / 2019-20 / 29

दिनांक : 24/04/19

समस्त उप आवासन आयुक्त,
आवासीय अभियन्ता /
लेखाधिकारी (भुगतान),
आवास विकास लिमिटेड /
आमेर विकास प्राधिकरण /
जयपुर विकास प्राधिकरण /
वृत्त / खण्ड.....


विषय :- माह अप्रैल-2019 के वेतन से सामूहिक दुर्घटना बीमा राशि की कटौती करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

सपरोक्त विषयन्तर्गत लेख है कि आपके अधीन मण्डल में वर्ष 2019-20 में अर्थात् दिनांक 01.04.2019 को कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों/वर्कचार्ज कर्मचारियों एवं परिवीक्षा अवधि (Probation Period) पर चल रहे कर्मचारियों के माह अप्रैल-2019 के वेतन से रूपये 107/- प्रति व्यक्ति के हिसाब से सामूहिक दुर्घटना बीमा राशि की कटौती कर बैंक राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम से दिनांक 05 मई 2019 तक आवश्यक रूप से भिजवायें।

सामूहिक दुर्घटना बीमा राशि की कटौती के बैंक के साथ कर्मचारियों के नाम, पिता/पति का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पदस्थापन, जी.पी.एफ./एन.पी.एस. नम्बर का विवरण सलंगन करें।

यदि किसी अधिकारियों/कर्मचारियों के माह अप्रैल-2019 के वेतन से सामूहिक दुर्घटना बीमा राशि काटकर नहीं भेजी गई तो ऐसी स्थिति में उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी का होगा।


वित्तीय सलाहकार
राजस्थान आवासन मण्डल,
जयपुर